



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26]

नई दिल्ली, जून 23—जून 29, 2013, शनिवार/आषाढ़ 2—आषाढ़ 8, 1935

No. 26]

NEW DELHI, JUNE 23—JUNE 29, 2013, SATURDAY/ASHADHA 2—ASHADHA 8, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जून, 2013

सा.का.नि. 161.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा सभी पिछले नियमों पर इस विषय पर महा-अधिवेशन में निम्नलिखित नियमों को बनाते हैं। इस तरह के महा-अधिवेशन से पहले, किये गये या छोड़े गये मामलों के सिवाय फार्मेसिस्ट के पदों के लिए भर्ती की पद्धति को विनियम करने में दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली, फार्मेसिस्ट भर्ती नियमावली, 2012 भी कहा जा सकता है।

(2) इन्हें सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख पर लागू होना चाहिए।

2. पदों की संख्या वेतन के वर्गीकरण और पैमाना.—उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और वेतन के पैमाने की संलग्नता उस तक होनी चाहिए, इन नियमों के लिए समय-सारणी अनुबद्ध के (2) से (4) स्तंभ में विशेष रूप से है।

3. भर्ती, आयु-सीमा योग्यता, आदि की पद्धति.—भर्ती, आयु-सीमा, योग्यता और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामलों की उपरोक्त अनुसूची के (5) से (13) स्तंभों में विशेष रूप से होना चाहिए।

4. अयोग्यता,—ऐसे व्यक्ति—

(क) जो शादी के अनुबंध में शामिल या शादी करते हैं, उस व्यक्ति के साथ जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, या फिर

(ख) वो व्यक्ति उक्त पदों की भर्ती के लिए योग्य होगा जो किसी व्यक्ति जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसके साथ शादी के अनुबंध में या शादी में शामिल होने पर उस शादीशुदा के साथ रहने वाला व्यक्ति होगा ।

केन्द्रीय सरकार यदि आप संतुष्ट हैं इस तरह के विवाह की अनुमति व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के व्यक्ति के लिए लागू कर सकती है और अन्य पक्ष के लिए शादी और इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को अन्य आधारों के लिए जो कर रहे हैं उन्हें छूट है ।

5. छूट के लिए शक्ति.—केन्द्र सरकार की राय है कि जहां ऐसा करना आवश्यक या समीचीन उपाय है, उसे करने, आदेश द्वारा कारणों के लिए लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है, व्यक्तियों की किसी भी श्रेणी या वर्ग के संबंध के साथ इन नियमों के किसी भी प्रावधान से छूट है ।

6. बचत.—इन नियमों में आरक्षण, आयु-सीमा की छूट और अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान की जाने वाली जरूरी अन्य रियायतें अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्ति के अन्य विशेष श्रेणियों को कुछ भी नहीं प्रभावित करेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	समूह वेतन और श्रेणी वेतन/वेतनमान	चाहे चयनित पद या गैर-चयनित पद	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फार्मसिस्ट	19* (2013) *कार्यभार पर आधारित बदलाव के लिए विषय	जनरल केन्द्रीय सेवा, समूह-सी, गैर-राजपत्रित गैर मंत्री स्तरीय	समूह वेतन-1, वेतनमान ₹5200-20200 से अधिक श्रेणी वेतन रु. 2800** **प्रविष्ट श्रेणी में 2 साल की सेवा के पूरा होने पर सभी पद धारकों को अगली उच्चतर श्रेणी के लिए गैर कार्यात्मक उच्च स्तर को प्रदान की जानी चाहिए ।	लागू नहीं	उम्र 18-25 के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उम्र 40 साल के ऊपर सरकारी कर्मचारियों के लिए) नोट 1 : भारत में उम्मीदवारों से आवेदन की प्राप्ति के लिए आयु-सीमा के निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख अंतिम तिथि होनी चाहिए । (और अंतिम तिथि का निर्धारण उन लोगों के लिए नहीं है जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग लाहौल और स्पीति जिले व हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में हो ।) नोट 2 : रोजगार कार्यालय से उम्मीदवार की आयु-सीमा निर्धारण के मामलों के लिए महत्वपूर्ण तारीख की अंतिम तिथि को बढ़ावा चाहिए जो रोजगार केन्द्र के नाम पर भरने के लिए कहा गया है

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताओं की आवश्यकता	पदोन्नति के मामलों में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए चाहे उम्र और शैक्षिक योग्यताओं के निर्धारण में लागू की जाएगी	यदि परिवीक्षा है
--	--	------------------

(7)	(8)	(9)
आवश्यकता :	लागू नहीं	दो साल
1. 10 + 2 (विज्ञान) फार्मैसी में 2 साल के डिप्लोमा के साथ 2. राज्य फार्मैसी परिषद के साथ पंजीकरण।		
नोट 1 : यदि अनुभव के बारे में योग्यता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों में सक्षम प्राधिकारी की बुद्धिमता पर छूट दी जा सकती है। चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त संख्या में इन समुदायों से आवश्यक अनुभव रखने की राय में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
नोट 2 : राजकीय भाषा नियम 1976 के नियम 10 के अनुसार राजकीय भाषा अधिनियम 1963 के तहत बनाया, उम्मीदवारों को कार्यसाधक हिन्दी भाषा की जानकारी होना चाहिए। यदि हिन्दी की जानकारी नहीं है तो वह अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान उसी तरह के अधिग्रहण आवश्यक है।		

सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण और प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों को विभिन्न पद्धतियों से भरे जाना चाहिए	भर्ती के मामलों में पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या अवशोषण श्रेणी जहां से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण बना दिया गया
(10)	(11)
सीधी भर्ती	लागू नहीं

यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना क्या है ?	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती करने में परामर्श किया जाना चाहिए?
---	---

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती के रहने पर स्थायीकरण/पदोन्नति पर विचार के लिए) :	लागू नहीं।
1. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पताल —चेयरमेन	
2. विभाग के प्रमुख, भेषज विज्ञान, सफदरजंग अस्पताल —सदस्य	
3. निदेशक या उप-निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में एम.एच. प्रभाग के प्रभारी —सदस्य	
4. उप-निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल —सदस्य।	

[फा. सं. ए-11018/03/2012-आरआर(एमएच-III)]

एम. एल. सोनी, उप निदेशक प्रशासन
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

पाद टिप्पण : मुख्य नियम सा.का.नि. सं. 554 दिनांक 13-6-1981 में अधिसूचित है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th June, 2013

G.S.R. 161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession on all previous rules on the subject except as respects things done or omitted to be done before such supersession, regulating the method of recruitment to the post of pharmacist in Safdarjung Hospital, New Delhi, namely :

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi Pharmacist (Group 'C' Post) Recruitment Rule, 2012.

2. They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

3. Number of posts, classification and scale of pay.— The number of the said posts, their classification, the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. — The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. Savings. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist	19* (2012)	General Central	Pay Band-1 :	Not	Between 18 and 25 years.
	*Subject to variation depending on workload.	Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay of Rs. 2800** **On completion of two years service in the entry grade, all the incumbents should be granted non	applicable	(Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the directions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing

(4)	(6)
functional up gradation to the next higher grade.	<p>date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>

(7)	(8)	(9)
Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(i) 10 + 2 (Science) with two years Diploma in Pharmacy; and (ii) Registration with State Pharmacy Council.	Not applicable	Two years

Note 1 : Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 2 : According to Rule 10 of the Official Language Rules, 1976, framed under the Official Language Act, 1963, the candidate(s) should have the working knowledge of Hindi. If he does not have the knowledge of Hindi, he must have to acquire the same during his probation period.

(10)	(11)
Direct Recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

(12)

(13)

Departmental Promotion Committee :—
(for considering/confirmation)
of direct recruits consisting of :

Not applicable.

1. Addl. Medical Superintendent, Safdarjung Hospital —Chairman
2. Head of Department, Pharmacology Safdarjung Hospital —Member
3. Director or DDA, in-charge of MH Division in Directorate General of Health Services. —Member
4. DDA SJH, Hospital —Member

[F. No. A. 11018/03/2012-RR(MH-III)]

M. L. SONI, Dy. Director Administration, Directorate General of Health Services

Footnote : The principal rules were notified vide G.S.R. No. 554 dated the 13th June, 1981.**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 18 जून, 2013

सा.का.नि. 162.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विभागीय कैटीन कर्मचारी भर्ती नियम, 1999 को, जहां तक उसका संबंध प्रबंधक श्रेणी 2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिव, विभागीय कैटीन में प्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रबंधक (विभागीय कैटीन) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :